एमपीएफ (MPF) ऑफसेटिंग व्यवस्था की समाप्ति पर ध्यान देने योग्य बिंदु

勞工處
Labour Department

Points to Note on the Abolition of
MPF Offsetting Arrangement
(Hindi version)

एमपीएफ (MPF) ऑफसेटिंग व्यवस्था की समाप्ति के मुख्य बिंदु

- अनिवार्य भविष्य निधि (MPF) प्रणाली के तहत नियोक्ताओं के अनिवार्य अंशदान (ERMC) के उपार्जित लाभों को पृथक्करण भुगतान (SP) और दीर्घ सेवा भुगतान (LSP)("ऑफसेटिंग व्यवस्था") की भरपाई के लिए उपयोग करने का विलोपन 1 मई 2025 (परिवर्तन की तिथि) से प्रभावी होगा।

- परिवर्तन की तिथि के बाद, नियोक्ता परिवर्तन तिथि से शुरू होने वाले सेवा के वर्षों के संबंध में कर्मचारियों के SP/LSP को ऑफसेट करने के लिए ERMC का उपयोग नहीं कर सकते हैं । नियोक्ता के स्वैच्छिक MPF योगदान (ERVC) और कर्मचारी की सेवा के वर्षों पर आधारित ग्रेच्युटी से प्राप्त उपार्जित लाभों का उपयोग MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था के विलोपन के बाद SP/LSP के परिवर्तन-पूर्व और/या परिवर्तन-पश्चात हिस्से को ऑफसेट करने के लिए जारी रखा जा सकता है।

- MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था के विलोपन का **कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं** है। यदि कोई कर्मचारी परिवर्तन की तिथि से पहले ही रोजगार में है तो परिवर्तन तिथि से पहले रोजगार अवधि के संबंध में केवल SP/LSP को ERMC से उपार्जित होने वाले लाभों द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है।

	SP/LSP का परिवर्तन-पूर्व हिस्सा		SP/LSP का परिवर्तन-पश्चात हिस्सा	
	ऑफसेटेबल	नॉन-ऑफसेटेबल	ऑफसेटेबल	नॉन-ऑफसेटेबल
ERMC	✓			✓
ERVC	✓		✓	
कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी	✓		✓	

- MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था का विलोपन उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो वर्तमान में MPF की प्रणाली या अन्य वैधानिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (विदेशी और स्थानीय घरेलू सहायकों, व 18 वर्ष से कम या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों सहित) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था के विलोपन के बाद SP/LSP की गणना

- यदि कोई कर्मचारी परिवर्तन की तिथि पर या उसके बाद रोजगार शुरू करता है तो रोजगार अध्यादेश में मौजूदा प्रावधानों के तहत SP/LSP की गणना और सीमा अपरिवर्तित रहेगी:

मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी	दैनिक-दर/प्रति-दर कर्मचारी
(रोजगार समाप्त होने से पहले पिछले पूरे महीने का वेतन* × 2/3) # × सेवा के वर्ष	(किन्हीं 18 दिनों का वेतन * **रोजगार समाप्त होने से पहले** के अंतिम 30 सामान्य कार्य दिवसों में से कर्मचारी द्वारा चुना गया) # × सेवा के वर्ष

- यदि कोई कर्मचारी परिवर्तन की तिथि से पहले से ही रोजगार में है, तो SP/LSP की गणना को परिवर्तन से पहले वाले भाग और परिवर्तन के बाद वाले भाग में विभाजित किया जाएगा:

मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी	दैनिक-दर/प्रति-दर कर्मचारी
SP/LSP का परिवर्तन-पूर्व का भाग	
(पिछले पूरे महीने का वेतन* परिवर्तन की तिथि से तुरंत पहले × 2/3)# × परिवर्तन की तिथि से पहले की सेवा के वर्ष	(किन्हीं 18 दिनों का वेतन * **परिवर्तन की तिथि से ठीक पहले** के अंतिम 30 सामान्य कार्य दिवसों में से कर्मचारी द्वारा चुना गया)# × **परिवर्तन तिथि से पहले** की सेवा के वर्ष
SP/LSP का परिवर्तन-पश्चात का भाग	
(पिछले पूरे महीने का वेतन* रोजगार की समाप्ति से पहले × 2/3)# × परिवर्तन तिथि से शुरू होने वाले सेवा के वर्ष	(किन्हीं 18 दिनों का वेतन* **रोजगार की समाप्ति से पहले** के अंतिम 30 सामान्य कार्य दिवसों में से कर्मचारी द्वारा चुना गया)# × **परिवर्तन की तिथि से शुरू होने वाले** सेवा के वर्ष

* एक कर्मचारी गणना के लिए परिवर्तन तिथि/रोजगार की समाप्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के अपने औसत वेतन का उपयोग करने का विकल्प भी चुन सकता है।

\# यह राशि $22,500 के 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए (अर्थात $15,000) ।

- SP/LSP की अधिकतम राशि $390,000 है। यदि किसी कर्मचारी की कुल SP/LSP (जैसे कि SP/LSP के परिवर्तन से पहले और बाद के भागों का योग) $390,000 से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को परिवर्तन के बाद के हिस्से में से काटा जाएगा।

अधिकाँश कर्मचारियों के लिए, MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले कुल लाभ (जैसे कि SP/LSP प्लस नियोक्ता के MPF योगदान के अर्जित लाभ) वर्तमान ऑफसेट की व्यवस्था के तहत मिलने वाले लाभ से अधिक होंगे। विशेष परिस्थितियों में (जैसे कि परिवर्तन की तिथि के बाद वेतन में पर्याप्त वृद्धि, परिवर्तन से पहले लंबी रोजगार अवधि, परिवर्तन के बाद की छोटी रोजगार अवधि, आदि), विलोपन के बाद कुल लाभ वर्तमान ऑफसेटिंग व्यवस्था के तहत मिलने वाले लाभ से कम हो सकते हैं। सरकार ने इस तरह के किसी भी मामले में कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों के लाभ कम न हों।

विलोपन के बाद सरकार 25 वर्षों के लिए SP/LSP पर नियोक्ताओं के खर्च को साझा करने के लिए MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था की समाप्ति के लिए सब्सिडी योजना शुरू करेगी।

MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था के विलोपन पर विषयगत वेबसाइट:

24-घंटे की पूछताछ हॉटलाइन: 2717 1771 ("1823" द्वारा संचालित)

यह पत्रक केवल सरल शब्दों में MPF ऑफसेटिंग व्यवस्था के विलोपन के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताता है। रोजगार अध्यादेश और रोजगार व सेवानिवृत्ति योजना कानून (ऑफसेटिंग व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश 2022 कानून के प्रावधानों के लिए एकमात्र प्राधिकरण बने हुए हैं।

April 2025
Hindi version